No Objection Certificate (Original)

संख्या 2264/15-12-84-10(201)/83

प्रेषक,

श्री बी०डी० अग्रवाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन,
2/242 सेवाविहार, अंसारी रोड, दरियागंज,
नयी दिल्ली-110002

शिक्षा(12) अनुभाग

लखनऊ, दिनांक 26 अप्रैल, 1984

विषय:- स्टेलामेरिस कान्वेन्ट स्कूल, सुल्तानपुर को अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्टेलामेरिस कान्वेन्ट स्कूल, सुल्तानपुर को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नयी दिल्ली से सम्बद्ध होने में इस राज्य सरकार को निम्नांकित शर्तों के अधीन आपत्ति न होगी :-

सामान्य प्रतिबन्ध

1- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायगा ।

2- संस्था के अध्यापक/अध्यापिकायें प्रशिक्षित होंगी। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

3- राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, उनका पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा ।

4- विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का रखा जायगा ।

5- विद्यालय विभागीय निरीक्षण हेतु सदैव उपलब्ध रहेगा ।

6- शुल्क दर में की गई अभिवृद्धि के लिये विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।

7- यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का किसी समय उल्लंघन किया जायगा तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायगा ।

विशेष प्रतिबन्ध

1- विद्यालय की प्रबन्धक समिति का पंजीकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट संख्या 21, 1860 ई० के अधीन कराया जाय तथा नियमानुसार नवीनीकरण भी समय पर कराया जाय ।

2- विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिये उचित आकार का एक कक्षा कक्ष तथा 2 वैकल्पिक विषय कक्ष एवं 4 प्रयोगात्मक कक्ष की व्यवस्था की जाय ।

3- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जाय तथा उन्हें अन्य अशासकीय उच्चतर मा० विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जाये।

4- विद्यालय का लेखा जोखा निर्धारित पंजिकाओं/प्रपत्रों में रखा जाय ।

भवदीय

(बी०डी० अग्रवाल)
उप सचिव

संख्या 2264(1)/15-12-84-10(201)/83

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा नि०, उ०प्र०, इलाहाबाद । 2- उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद ।

3- जिला विद्यालय निरीक्षक, सुल्तानपुर । 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।

5- प्रधानाचार्य, स्टेला मेरिस कान्वेन्ट स्कूल, सुल्तानपुर

आज्ञा से,

[illegible]